

वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016-आश्विन 8, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Company Petition No. 6 of 2016

BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

In the matter of Section 433 (c) and (f) of the Companies Act, 1956

Proces. Id- 51987/16.

AND

In the matter of

Rajratan Synthetics Limited

Regd. Off.: UG-28, Bansi Trade Centre, Plot No. 581/5, M.G. Road, Indore (M.P.)

In the Matter of:

Petitioner

Devendra Kumar Jain

Versus

Respondent

Rajratan Synthetics Limited

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for winding-up of the abovenamed company by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore was on the 16th day of February, 2016, presented to the said Hon'ble Court by the said Petitioner Devendra Kumar Jain, R/o 89, Ravindra Nagar, Indore (M.P.) in the capacity as Contributory and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on the 17th day of October, 2016.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order

on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in the Hon'ble Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

YATISH KUMAR LAAD,
Advocate for the Petitioner,
304, J.V. Complex,
2/13, Race Course Road,
Indore-452 001 (M.P.).

(385-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र दर्वेश चौधरी (DARVESH CHOURHARY) के 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम परशुराम चौधरी (PARSHURAM CHOURHARY) नाम दर्ज हो गया है। मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम परुषराम चौधरी (PARUSHRAM CHOURHARY) है।

अतः भविष्य में मेरे सही नाम परुषराम चौधरी (PARUSHRAM CHOURHARY) के नाम से पढ़ा व समझा जाये।

पुराना नाम :

(परशुराम चौधरी)

नया नाम :

(परुषराम चौधरी)

(PARUSHRAM CHOURHARY)

म. नं. 37, पंचवटी कॉलोनी, फेस-3,
करोड़, भोपाल (म.प्र.).

(386-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम तनुजा कानडे था अब मुझे श्रीमती श्रद्धा सरवटे नाम से जाना जाता है एवं भविष्य में भी इसी नाम से जाना जावेगा।

पुराना नाम :

(तनुजा कानडे)

नया नाम :

(श्रद्धा-सुरेश सरवटे)

19, शिवाजी पार्क कॉलोनी,
उज्जैन (म.प्र.).

(387-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Shikar Som Sharma hereby declare that I have change my name as Shikhar Som Sharma, So, from now and in future I will be known by my new name Shikhar Som Sharma.

Old Name :

New Name :

(SHIKAR SOM SHARMA)

(SHIKHAR SOM SHARMA)

Address—Faculty School, Mhow,

Disst. Indore (M.P.).

(388-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम व्ही. केशवन्, पुत्र स्वर्गीय श्री एम. विजयन् मेनन्, निवासी-71, बल्लभ नगर, खजूरीकलां रोड, पिपलानी, भोपाल मध्यप्रदेश था। मैं, वर्तमान में कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में उप-प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। अब मेरा नाम व्ही. केशवन मेनन् उर्फ व्ही. के. मेनन् के नाम से जाना जाऊँगा। सूचनार्थी।

पुराना नाम :

नया नाम :

(व्ही. केशवन)

(व्ही. केशवन मेनन्)

(395-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स वेलकिन इंटरप्राइजेज 8/5 सिविक सेंटर, जबलपुर पं. क्रमांक 85, दिनांक 20 सितम्बर, 2005 को पंजीयत है, जिसमें वर्तमान में (1) श्रीमती कल्पना चौरसिया पति श्री मुकेश चौरसिया, पता एम.आई.जी. 15, हाथीताल कॉलोनी, तहसील व जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश, (2) श्री नरेश चौरसिया पिता स्व. श्री के.एल. चौरसिया, पता कुकरेजा टावर, राईट टाऊन, तहसील व जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश, (3) श्री राजेश चौरसिया पिता स्व. श्री के.एल. चौरसिया, पता एम.आई.जी. 15, हाथीताल कॉलोनी, तहसील व जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश उक्त फर्म में दिनांक 20 फरवरी, 2008 को श्री नरेश चौरसिया पिता स्व. श्री के.एल. चौरसिया, जबलपुर बाहर हो रहे हैं तथा उक्त फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को श्रीमती कल्पना चौरसिया पति श्री मुकेश चौरसिया, पता एम.आई.जी. 15, हाथीताल कॉलोनी बाहर हो रहे हैं तथा उक्त दिनांक को ही श्री अनुराग चौरसिया पिता श्री मुकेश चौरसिया, पता एम.आई.जी. 15, हाथीताल कॉलोनी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। अतः सर्व-साधारण को कोई आपत्ति हो तो उक्त पते पर प्रकाशित दिनांक से सात दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें।

फर्म-वेलकिन इंटरप्राइजेज,

अनुराग चौरसिया,

(भागीदार)

8/5 सिविक सेंटर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

(396-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RK Rai, a partnership firm having head office at Gotegaon, District Narsinghpur was registered vide partnership deed dated 01-04-1997, having partners Shri Rajendra Kumar Rai, Shri Surendra Kumar Rai & Smt. Bhagyashree Rai.

On 01-04-1999 Smt. Bejyanti Bai Rai and Smt. Rajshree Rai Joined the partnership and partners of the firm were Shri Rajendra Kumar Rai, Shri Surendra Kumar Rai, Smt. Bhagyashree Rai, Smt. Bejyanti Bai Rai and Smt. Rajshree Rai.

On 02-06-2016 Smt. Bejyanti Bai Rai, retired from the partnership and Shri Tanmay Rai joined in as a partner in the firm.

Now the partners of the firm are Shri Rajendra Kumar Rai, Shri Surendra Kumar Rai, Smt. Bhagyashree Rai, Smt. Rajshree Rai and Shri Tanmay Rai.

This public notice is being published for the purpose of registration of changes in constitution of partnership with the office of Registrar of Firms and Society.

For: M/s RK Rai,

SURENDRA KUMAR RAI,

(389-B.)

(Partner).

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is Published for general information that SHRI PRATIPLAL TONGYA HUF. Through it karta SHRI PRATPLAL TONGYA S/o RATANLAL TONGYA 73, Gumasta Nagar, Indore Th. & Dist. Indore (M.P.) and MISS PRIYANKA TONGYA D/o SHRI PRATIPLAL TONGYA, 73, Gumasta Nagar, Indore Th. & Dist. Indore (M.P.) has retired on 04-01-2009 from the firm "M/S GULSHAN RAI JAIN II" A-948, Scheme No. 114, Part-I, Indore Th. & Dist. Indore (M.P.).

For: M/s "Gulshan Rai Jain II",

NAVEEN JAIN,

(Partner).

Indore.

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public Information that Shri Kalyanmal Jain S/o Shri Jawaharlal Jain Shri Arun Kumar Jain S/o Shri Kalayanmal Jain & Smt. Neelam Jain W/o Shri Arun Kumar Jain have retired

(390-B.)

from the partnership business of firm M/s Jawahar Udyog, 39, Sajan Nagar, Indore (M.P.) as partner vide. Regn.No. 632, Dated 23-06-1984 year :1984-85 as from 01/09/2016 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For: M/s Jawahar Udyog,
LOKESH SHARMA,
(Partner).

(392-B.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्रमांक 06/10/1071/15, सन् 2014-15 में /S.A.R. Builders And Developers पता-ए-1, इंद्र मोहन नगर, दमोह में संशोधन किया गया है. पूर्व में पार्टनर-1. राजकुमार सुरेका वल्ड स्व. श्री त्रिलोक चंद, 2. विनोद कुमार सुरेका वल्ड स्व. श्री त्रिलोक चंद, 3. आशीष सुरेका वल्ड भी राजकुमार सुरेका, 4. राहुल सुरेका वल्ड श्री विनोद कुमार सुरेका सभी, निवासी इंद्र मोहन नगर, दमोह थे एवं दिनांक 01-06-2016 से 2 नये भागीदार शामिल किये गए हैं. जिसमें 5 आदित्य राज सुरेका एचयुएफ बल्ड श्री राजकुमार सुरेका, 6. अभिनव सुरेका वल्ड श्री विनोद कुमार हैं.

मैसर्स S.A.R. Builders And Developers,

राजकुमार सुरेखा,
(पार्टनरशिप फर्म)

ए-1, इंद्र मोहन नगर, दमोह.

(391-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. दत्तात्रय केला ग्रुप 386/2, वार्ड नं. 34, शनवारा, बुरहानपुर भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है.

फर्म के एक भागीदार श्री दत्तात्रय पिता रामभाऊ महाजन का आकस्मिक निधन 21-04-2014 को हो जाने के कारण से उनका स्थान रिक्त हुआ है.

दिनांक 25-04-2014 से मे. दत्तात्रय केला ग्रुप फर्म में निम्न भागीदार नियमित व्यवसाय करते रहेंगे.

1. पांडूरंग महाजन पिता स्व. श्री दत्तात्रय महाजन.
2. युवराज महाजन पिता स्व. श्री दत्तात्रय महाजन.
3. किशोर महाजन पिता स्व. श्री दत्तात्रय महाजन.

वास्ते—मैसर्स दत्तात्रय केला ग्रुप,

पांडूरंग महाजन,
(भागीदार).

(393-बी.)

आम सूचना

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत सूचना-पत्र

फर्म Messrs ADA Consultancy & Services, पंजीयन क्रमांक-01/01/01/0581/15, सन् 2014-15 के कार्यालय का पूर्व पता दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 से Usha Chambers C.No. 19, 60-Zone-2, M.P. Nagar, Bhopal था. जो वर्तमान में दिनांक 08 अप्रैल, 2016 से बदलकर Plot No. 20, Sec. A, Vidhya Nagar, Bhopal (M.P.) हो गया है. इस फर्म से दिनांक 09 मार्च, 2015 से श्रीमती सीमा शाही सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह एवं दिनांक 08 अप्रैल, 2016 से श्री आशीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री वृज मोहन अग्रवाल स्वेच्छा से अलग हो चुके हैं तथा दिनांक 08 अप्रैल, 2016 से नयी भागीदार श्रीमती कल्पना मंगलम पत्नी श्री अन्वेष मंगलम सम्मिलित हो चुकी हैं.

वास्ते-फर्म ए. डी. ए. कन्सल्टेंसी एण्ड सर्विसेज

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. अभिमन्यु मंगलम | - चालू भागीदार. | 2. श्रीमती कल्पना मंगलम | - चालू भागीदार. |
| 3. श्रीमती सीमा शाही सिंह | - सेवा निवृत्त भागीदार | 4. श्री आशीष अग्रवाल | - सेवा निवृत्त भागीदार. |

ADA Consultancy & Services,

अभिमन्यु मंगलम,
कल्पना मंगलम
(भागीदार).
स्थान-भोपाल.

(394-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक डॉ. आर. के. गौड़ पिता स्व. श्री बाबूलाल गौड़, पता-459, आलोक नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर के द्वारा बालाजी सेवा संस्थान, कार्यालय पता-459, आलोक नगर, कनाड़िया रोड इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: बालाजी सेवा संस्थान.
पता	: कार्यालय-459, आलोक नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर, (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: रुपये 7,000/- (अक्षरी रुपये सात हजार मात्र) है।

आज दिनांक 30 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(734)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक जय दुर्गा चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-181, एम-खातीवाल टैक, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री पीयुष राजानी पिता जयपाल राजानी, पता-181, एम-खातीवाल टैक, इन्दौर द्वारा जय दुर्गा चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता-181, एम-खातीवाल टैक, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: जय दुर्गा चेरिटेबल ट्रस्ट.
पता	: कार्यालय-181, एम-खातीवाल टैक, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: रु. 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र है)

आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(734-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1130.—माँ जालपा महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मालवीय गंज वार्ड कटनी, पं. क्र. 170, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/320, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ जालपा महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मालवीय गंज वार्ड कटनी, पं. क्र. 170 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(727)

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1131.—गुरुनानक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., विवेकानन्द वार्ड कटनी, पं. क्र. 171, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/321, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था गुरुनानक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., विवेकानन्द वार्ड कटनी, पं. क्र. 171 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(727-A)

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1132.—शिवा कर्मशियल सर्विसेज सहकारी समिति मर्या., गुरुनानक वार्ड कटनी, पं. क्र. 173, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/323, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था शिवा कर्मशियल सर्विसेज सहकारी समिति मर्या., गुरुनानक वार्ड, कटनी, पं. क्र. 173 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(727-B)

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1133.—शिवशंकर विकलांग ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कटनी, पं. क्र. 180, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/330, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था शिवशंकर विकलांग ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, कटनी, पं. क्र. 180 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(727-C)

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1134.—माँ शारदा देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., महात्मा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 202, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/352, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ शारदा देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., महात्मा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 202 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(727-D)

कटनी, दिनांक 26 अगस्त, 2016

क्र./संपक/परि./16/1135.—रविन्द्रनाथ टैगोर ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., टैगोर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 196, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/346, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था रविन्द्रनाथ टैगोर ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., टैगोर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 196 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भरत कुमार मोदी,

सहायक पंजीयक।

(727-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	कावेरी प्रिंटिंग इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव लि., उज्जैन	1725/20-05-2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और ना ही संस्था का चार्ज सौंपा गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्बुद्ध में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	कावेरी प्रिंटिंग इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव लि., उज्जैन	1725/20-05-2009	श्री आर. एल. नागर, सी.ई. ओ., उज्जैन

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(728)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री राम पुरुषार्थी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	27/30-10-1950

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और ना ही संस्था का चार्ज सौंपा गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्बुद्ध में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री राम पुरुषार्थी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	27/30-10-1950	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(728-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पालखेड़ी, जिला उज्जैन	1900/13-11-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पालखेड़ी, जिला उज्जैन	1900/13-11-2014	श्री आर. एल. नागर, सह. वि. अधि. उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(728-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बकानिया, जिला उज्जैन	2286/05-12-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बकानिया, जिला उज्जैन	2286/05-12-2015	श्री आर. एल. नागर, सह. वि. अधि., उज्जैन

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक।

(728-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1122.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/30, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा श्यामला एग्रो कॉ. ऑप. सर्विस सोसायटी लिमि. ढोलाना, तह. बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 28 अगस्त, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99, पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत श्यामला एग्रो कॉ. ऑप. सर्विस सोसायटी लिमि. ढोलाना, तह. बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(729)

धार, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1124.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/23, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा यूनिटी क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड राजगढ़, तह. सरदारपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 20 मार्च, 2002 (नया पंजीयन क्र. 1470, दिनांक 08 जनवरी, 2014) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99, पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत यूनिटी क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड राजगढ़, तह. सरदारपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(729-A)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार।

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

दिनांक 13 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/696.—निम्नलिखित सहकारी संस्थाएं, पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने में असफल होने से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आलोक कुमार दुबे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, घोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के सम्मुख लिखे अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्रमांक	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., अबगांवकला	अबगांवकला	2695/24-05-1999	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
2.	सिद्ध विनायक सह. समिति मर्या., अत्तरसमा	अत्तरसमा	209/19-05-2014	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
3.	आदर्श महिला बहु. उप. सह. समिति मर्या., हरदा.	हरदा	88/09-04-2003	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
4.	कालियादेव तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक सह. समिति मर्या., बघवाड़.	बघवाड़	232/31-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
5.	गंजालेश्वर तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक सह. समिति मर्या., छिदगांव मेल.	छिदगांव मेल	233/31-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
6.	रेवा तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक सह. समिति मर्या., छिपानेर.	छिपानेर	231/31-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
7.	नर्मदा शक्ति तरबूज-खरबूज एवं फलोत्पादक सह. समिति मर्या., हण्डिया.	हण्डिया	230/26-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
8.	बसुन्धरा क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., टिमरनी.	टिमरनी	212/29-09-2014	श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक.
9.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., खमगांव	खमगांव	225/30-01-2015	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
10.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., भादूगांव	भादूगांव	214/27-10-2014	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
11.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., करताना	करताना	215/29-10-2014	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
12.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., पिडगांव	पिडगांव	228/11-02-2015	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
13.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., सोनखेड़ी	सोनखेड़ी	221/28-01-2015	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
14.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., मंझली	मंझली	222/28-01-2015	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
15.	दुध उत्पादक सह. समिति मर्या., कुसिया	कुसिया	227/11-02-2015	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.
16.	मजदूर श्रम ठेका कल्याण सह. समिति मर्या., हरदा	हरदा	207/25-03-2014	श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आलोक कुमार दुबे,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	मातेश्वरी प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1617/11-08-2011	खरगौन	832/29-06-2016	श्री आर. के. महाजन, स.नि.
2.	साथिया प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1431/14-07-2005	खरगौन	896/12-07-2016	श्री आर. के. महाजन, स.नि.
3.	कल्याणकारी म. बहु. सह. समिति मर्या., खरगौन.	1568/27-04-2009	खरगौन	874/02-07-2016	श्री आर. के. महाजन, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(732)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	ईंधन सहकारी संस्था मर्या., सेंगाँव	1542/14-02-2008	सेंगाँव	874/02-07-2016	श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
2.	वैष्णोदेवी महिला बहु. सह. संस्था मर्या., सिनखेड़ी.	1572/21-07-2009	सेंगाँव	874/02-07-2016	श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.
3.	अनन्पूर्णा महिला बहु. सह. संस्था मर्या., केशवपुरा.	1576/10-08-2009	खरगौन	874/02-07-2016	श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(732-A)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रांतिक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	भगवती महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बिस्टान.	1532/11-09-2007	गोगाँवा	874/02-07-2016	श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	रंगारीबाई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बाणगंगा.	1596/24-07-2010	भगवानपुरा	874/02-07-2016	श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	बिस्टान दुध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बिस्टान.	1625/21-12-2011	गोगाँवा	874/02-07-2016	श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
4.	रूपाली महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कोठाखुर्द.	1573/21-07-2009	गोगाँवा	874/02-07-2016	श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
5.	आदिवासी मत्स्य सह. संस्था मर्या., सिनखेड़ा.	980/22-04-1995	खरगौन	874/02-07-2016	श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(732-B)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	आशीर्वाद प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., कसरावद.	1449/19-10-2016	कसरावद	891/11-07-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
2.	श्री जी प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., कसरावद.	1450/19-10-2005	कसरावद	891/11-07-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
3.	माँ वैष्णो प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. कसरावद.	1552/17-07-2008	कसरावद	891/11-07-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
4.	दीपाशा म. प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., कसरावद.	1597/24-07-2010	कसरावद	832/29-06-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
5.	फसल सुरक्षा सह. संस्था मर्या., सिनगुन.	1502/03-04-2007	कसरावद	832/29-06-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
6.	सफाई कर्म. ग्रह निर्माण सह. संस्था मर्या., कसरावद.	1419/03-05-2005	कसरावद	832/29-06-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.
7.	राधीका बीज उ. सह. संस्था मर्या., माकड़खेड़ा.	1936/10-03-2014	कसरावद	832/11-07-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(732-C)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	सेवा म. प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1468/18-11-2005	खरगौन	891/11-07-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, स. नि.

1	2	3	4	5	6
2.	रायल प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1469/24-11-2005	खरगौन	891/11-07-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, स. नि.
3.	आदर्श प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1539/26-11-2007	खरगौन	891/11-07-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, स. नि.
4.	नर्मदा म. प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	1582/10-11-2009	खरगौन	832/29-06-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, स. नि.
5.	रेवा ग्रह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगौन.	37/01-03-1979	खरगौन	832/29-06-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(732-D)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन बर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	फसल सुरक्षा सह. समिति मर्या., डोंगरगाँव.	1545/14-02-2008	खरगौन	832/29-06-2016	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.
2.	विवेकानन्द ग्रह निर्माण सह. समिति मर्या., खरगौन.	39/02-05-1979	खरगौन	832/29-06-2016	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.
3.	मेकेनिकनगर ग्रह निर्माण सह. समिति मर्या., खरगौन.	1390/03-07-2004	खरगौन	832/29-06-2016	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.
4.	लालबड़ा मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या., रायबिड़पुरा.	1555/15-09-2008	खरगौन	874/02-07-2016	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(732-E)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत

परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	तहसील	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	साईनाथ महिला बहु. सह. संस्था मर्या., खरियामाल।	1557/07-11-2008	झिरन्या	874/02-07-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक।
2.	साक्षी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मुण्डिया।	1978/12-05-2014	झिरन्या	896/12-07-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक।
3.	शिव शक्ति मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., रतनपुर।	1665/28-08-2012	झिरन्या	896/12-07-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक।
4.	वैभवी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या।	1981/09-06-2014	झिरन्या	896/12-07-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक।
5.	शिवा बाबा मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., मांडवी।	980/22-04-1995	झिरन्या	896/12-07-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक।

(732-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1536.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	महात्मा गांधी क्रय-विक्रय सह. समिति सेमरी हरचन्द्र	3025/02-03-2005	672/29-03-2014
2.	आदर्श क्रय-विक्रय सह. समिति, उटियाशंकर	2890/17-05-2006	673/29-03-2014

1.	2.	3.	4.
3.	जय बजरंग साख सहकारी समिति, सिवनी	-	1063/10-09-2013
4.	रक्षा महिला साख सहकारी समिति, लोखरतलाई	-	1063/10-09-2013
5.	सुरुचि महिला साख सहकारी समिति, बराखड़	-	1063/10-09-2013
6.	अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति, भरलाय	-	1063/10-09-2013
7.	गंजाल महिला साख सहकारी समिति, टेड़ी	-	1063/10-09-2013
8.	एकता महिला साख सहकारी समिति, वघवाड़ा	-	1063/10-09-2013
9.	सांईसाधाराम साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	-	1063/10-09-2013

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(733)

होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1537.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्ह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एस. के. पाठक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भिलाड़िया	2804/13-04-2004	674/29-03-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रेवामुहारी	2867/30-07-2005	675/29-03-2014

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(733-A)

होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1538.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्ह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	अन्नपूर्णा रेशम उत्पादक सहकारी समिति, मटकुली	2447/11-03-1998	1026/04-07-2009
2.	माँ गौरी आदिवासी साख सहकारी समिति, हथवास	2779/31-12-2002	38/19-01-2011

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(733-B)

के. पाटनकर,
उप पंजीयक,

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 01 अगस्त, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कीर्ति अल्प आय बचत सहकारी समिति मर्या., जवाहरगंज सागर.

क्र./परि./16/1744.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कीर्ति अल्प आय बचत सहकारी समिति मर्या., जवाहरगंज सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 10 मई, 2004 के अध्यक्ष द्वारा संस्था के पत्र दिनांक 30 जून, 2016 से अवगत कराया गया कि संस्था का कार्य बन्द हो गया है तथा सदस्यों ने अपनी हिस्सा राशि वापिस ले ली है तदाशय का लेख करते हुये संस्था को परिसमापन में लाने का अनुरोध किया गया है.

उपोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि संस्था ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.

अध्यक्ष की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कीर्ति अल्प आय बचत सहकारी समिति मर्या., जवाहरगंज सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 10 मई, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(722)

सागर, दिनांक 26 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

इंदिरा गांधी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कन्दवा,

विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर.

क्र./परि./16/1822.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार इंदिरा गांधी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कन्दवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जुलाई, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/सह नि प्र/निर्वा-2/2016/5022, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा निर्वाचन करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं हैं उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इंदिरा गांधी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कन्दवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जुलाई, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे। यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब

प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(722-B)

सागर, दिनांक 26 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

बुन्देलखण्ड सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा,
विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर.

क्र./परि./16/1823.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बुन्देलखण्ड सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 18 सितम्बर, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/सह नि प्र/निर्वा-2/2016/6464, भोपाल, दिनांक 28 जून, 2016 के द्वारा रिटार्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई। रिटार्निंग ऑफिसर द्वारा आवगत कराया गया कि संस्था द्वारा निर्वाचन करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बुन्देलखण्ड सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 18 सितम्बर, 1996 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे। यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(722-C)

सागर, दिनांक 26 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

सी. जे. पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर,
विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

क्र./परि./16/1824.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सी. जे. पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 30 अगस्त, 1989 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी के निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 09 जुलाई, 2016 को समाप्त हो चुका है तथा संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सी. जे. पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 30 अगस्त, 1989 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों

के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(722-D)

सागर, दिनांक 26 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़कोटा,

विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

क्र./परि./16/1825.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़कोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 06 मई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर श्री आर. के. केशरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था।

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुशंसा को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है। उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़कोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 06 मई, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त विधियों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे। यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(722-E)

सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/1836.—मछुआ सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 13 अप्रैल, 1973 को कार्यालयीन आदेश/क्रमांक परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आम सभा दिनांक 10 अगस्त, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 13 अप्रैल, 1973 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के

कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ :-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद नाम
1.	श्री बबलू/श्री बाबूलाला रैकवार	अध्यक्ष	7.	श्री लीलाधर/श्री चुनीलाल	सदस्य
2.	श्री चन्द्रशेखर/श्री बृन्दावन रैकवार	उपाध्यक्ष	8.	श्री राजू/श्री आशाराम	सदस्य
3.	श्री सरमन/श्री रामलाल	सदस्य	9.	श्री देवेन्द्र/श्री भागीरथ	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र/श्री द्वारका रैकवार	सदस्य	10.	श्री राकेश/श्री द्वारका	सदस्य
5.	श्री भूपेन्द्र/श्री जग्गी	सदस्य	11.	श्रीमति बेबी/श्री जितेन्द्र	सदस्य
6.	श्री मनीराम/श्री रामलाल	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जाये।

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,

उप-रजिस्ट्रार।

(722-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

अनुसूचित जाति, जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मोहना, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर.जी.डब्ल्यू.आर. 397, दिनांक 24 जून, 2006 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1801, दिनांक 15 जुलाई, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2016 के द्वारा संस्था को पुनः जीवित करने की अनुशंसा की है। इस बावत संस्था की आमसभा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई। आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 26 अगस्त, 2016 से संस्था को पुनः जीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्य संस्था को क्रियाशील करे सक्षम इकाई बनाकर सभी सदस्य मिल कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था कार्य संचालन करेंगे।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था के सदस्यों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था के क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करती हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ कि इस आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें। संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारणी समिति को नामांकित किया जाता है—

क्र.	नाम	पद नाम	क्र.	नाम	पद नाम
1.	श्रीमती रामहेती	अध्यक्ष	7.	श्रीमती मिन्ती बाई	संचालक
2.	श्री सुरेश	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती रामश्री	संचालक
3.	श्री लघ्वी	उपाध्यक्ष	9.	श्रीमती पारवती	संचालक
4.	श्री महेन्द्र	संचालक	10.	श्री पातीराम	संचालक
5.	श्री रामस्वरूप	संचालक	11.	श्री सोवरन	संचालक
6.	श्री राकेश	संचालक			

उक्त प्रबंधकारणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारणी समिति से निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत आवेदन पर निर्वाचन करावें।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक।

(723)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1011.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./466, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी. आर./118, दिनांक 15 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी. आर./118, दिनांक 15 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निर्गमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(724)

श्योपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1012.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./466, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी. आर./119, दिनांक 15 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी. आर./119, दिनांक 15 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निर्गमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

दिनेश कुमार चौरसिया,
सहायक पंजीयक।

(724-A)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016-आश्विन 8, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 जून, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), निवाड़ी, जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव, छतरपुर, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवर्ह, शाहनगर (पन्ना), बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, राहतगढ़ (सागर), उचेहरा, रामनगर (सतना), त्योंथर, रामपुरकचुलियान (रोवा), सोहागपुर, जैसिंगनगर, गोहपारु, बुढार (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), कालापीपल (शाजापुर), जावर, (सीहोर), रायसेन, बेरली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), सोहागपुर, वनखेड़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, मझोली (जबलपुर), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), जुनारदेव, परासिया, सोंसर, पांदुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, कुरई, घंसौर, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), केसली (सागर), अमरपाटन (सतना), जैतपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोहरगंज, बाड़ी (रायसेन), होशंगाबाद, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोर, कुंडम (जबलपुर), विछिया (मण्डला), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), नैनपुर (मण्डला), बिछुआ (छिन्दवाड़ा), बरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, सिंगरौली, मंदसौर, झाझुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, डिण्डोरी व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला मुरैना, भोपाल, बैतूल व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, सीहोर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्र, समाहांत बुधवार, दिनांक 15 जून, 2016

जिला/तहसीलें	1. समाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	19.4 42.0 10.4				7. .. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रैन	2.0 1.0 6.0 7.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	कोई घटना नहीं. ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	4.7 25.8 13.0 17.0				7. .. 8. पर्याप्त.
जिला दातिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				7. .. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला उत्तरकाशी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	8.0				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	4.0				
4. टीकमगढ़	20.0				
5. बल्देवगढ़	9.0				
6. पलोरा	4.0				
7. ओरछा	7.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लकुशनगर	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	4.8				
4. छतरपुर	6.6				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	15.8				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़	5.6				
2. पन्ना	3.0				
3. गुन्नौर	2.0				
4. पवई	6.0				
5. शाहनगर	4.0				
जिला सांगर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	13.5				
4. सांगर	14.4				
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	5.0				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	10.0				
9. केसली	28.0				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोहः	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मूँग, उड़द, गन्ना, मक्का समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दुखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतनाः	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उच्छेरा	1.0				
6. अमरपाटन	20.0				
7. रामनगर	11.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवाः	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक। गेहूँ कम। मसूर, अलसी, अरहर समान। (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. त्यौंथर	5.0				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकर्चुलियान	10.0				
जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर	4.0				
2. ब्लौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	4.0				
4. गोहपारु	5.0				
4. जैतपुर	25.0				
5. बुढ़ार	3.2				
जिला अनूपपुरः	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी	10.2				
2. अनूपपुर	2.6				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	21.7				
*जिला उमरियाः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर 1.0 3.0 .. 2.0 .. 1.1	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुन्थड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
*जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला रत्लाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला आगर : 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर 2.0 ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोकट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोणडवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अब्देकर्नगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राष्ट्रकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ज्वार, उड्ड, मूंगा. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डगढ़	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेसन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. जावर	15.5				
4. इछावर	..				
5. नसरुल्लागंज	..				
6. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	3.6				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	29.0				
5. बरेली	4.8				
6. सिलवानी	13.7				
7. बाड़ी	30.5				
8. उदयपुरा	12.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	21.8				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	13.0				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	10.0				
8. पचमढ़ी	18.4				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना-सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) उड़द, मूँग अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	30.2				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	3.9				
4. मझौली	7.6				
5. कुण्डम	18.3				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधीगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक तुअर कम. उड़द समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दुखेड़ा	(2)
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणांज	.. 18.2 47.4 1.3
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	2.7 .. 9.5
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुणा 7. अमरवाडा 8. चौरई 9. चांद 10. बिछुआ 11. हरई 12. बोलखेड़ा	19.3 11.6 1.2 .. 10.2 4.9 14.4 5.6 13.6 35.2 6.1 6.4
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	6.20 .. 3.50 35.50 10.0 2.0 .. 7.70
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर

टीप.—*जिला अशोकनगर, गुना, उमरिया, नीमच, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.